

## प्रेस नोट दिनांक 01.09.2024 जनपद प्रतापगढ़

### थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा लूट की घटना में वांछित 02 अन्य बदमाश गिरफ्तार

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा लूट के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, लूट के 1950 रुपये बरामद

थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत मुआधारगंज फाटक के पास अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

बीती 23 अगस्त को डाक्टर के क्लीनिक में घुसकर की थी वारदात

प्रतापगढ़।

दिनांक 23.08.2024 की रात्रि में थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत दमदम चौराहा के पास स्थित एक दवा की दुकान से मोटर साइकिल से आये अज्ञात बदमाशों द्वारा चोट का बहाना बनाकर डाक्टर से 23 हजार रुपये व मोबाइल लूट कर भाग निकले थे। घटना की सूचना पर उच्चाधिकारी के नेतृत्व में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा मौके पर घटना स्थल का निरीक्षण कर प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में गठित टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों/मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान आज दिनांक 01.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर घटना से संबंधित 02 अभियुक्तों को लूट के 1950 रुपये के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा उपरोक्त घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों को चिन्हित कर गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर संबंधित को कड़े निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज के मार्गदर्शन/पर्यवेक्षण में आज दिनांक 01.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना रानीगंज श्री आदित्य सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अश्विनी कुमार, उ0नि0 सतीराम, उ0नि0 राजनाथ यादव मय हमराह का0 मुकेश यादव, का0 अरुण कुमार द्वारा थाना रानीगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 307/24 धारा 309(6), 317(2) बीएनएस में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान इलेक्ट्रॉनिक/मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर मुखबिर की सूचना से 02 अभियुक्तों अंकित पासी पुत्र सुनील पासी निवासी ग्राम करकटेपुर थाना बहरिया जनपद प्रयागराज व सौरभ यादव उर्फ आदित्य पुत्र गुलाब निवासी ग्राम देल्हूपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रयागराज को लूट के 1950 रुपये के साथ थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत मुआधारगंज फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

- 1- अंकित पासी पुत्र सुनील पासी निवासी ग्राम करकटेपुर थाना बहरिया जनपद प्रयागराज
- 2- सौरभ यादव उर्फ आदित्य पुत्र गुलाब निवासी ग्राम देल्हूपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रयागराज

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोगों का एक गिरोह है। हम लोग आसपास के क्षेत्रों में रैकी कर लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। दिनांक 23.08.2024 की रात्रि में हम लोग (अंकित, सौरभ उपरोक्त व अन्य साथी अज्जू उर्फ शीतला प्रसाद सरोज पुत्र हीरालाल सरोज निवासी देवगलपुर थाना मउआईमा जनपद प्रयागराज) योजना बनाकर चोट का बहाना कर दमदम चौराहे पर स्थित डाक्टर तिवारी की दवा की दूकान का दरवाजा खुलवाकर 23 हजार रुपये व मोबाइल लूटे थे तथा एक अन्य साथी सौरभ गौतम पुत्र हंसराज उर्फ मन्नू निवासी ग्राम तवकलपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ जो दुकान के बगल में मोटर साइकिल से था, हम सभी भाग निकले थे। उसके बाद हम लोग जाकर पार्टी किये शेष बचे 16 हजार रुपये को आपस में बांट लिये थे। उसी में से बचे हुए यह बरामद किये गये कुल 1950 रुपये हैं।

नोट – मुकदमा उपरोक्त में वांछित 02 अभियुक्तों अज्जू उर्फ शीतला व सौरभ गौतम को पूर्व में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पुलिस टीम - उ0नि0 अश्विनी कुमार, उ0नि0 सतीराम, उ0नि0 राजनाथ यादव मय हमराह का0 मुकेश यादव , का0 अरुण कुमार थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

बयान:- अपराध में संलिप्त अपराधी कितना ही शातिर क्यों न हो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने का कार्य करती है, प्रतापगढ़ पुलिस अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्यवाही करने के लिए कटिबद्ध है।

डॉ0 अनिल कुमार,

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।

### **थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़**

एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में फतनपुर पुलिस व एसटीएफ प्रयागराज की संयुक्त टीम द्वारा 50 हजार रुपये का इनामियां वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

सरकारी कार्य में बाधा डालना, लोक सेवक पर हमला, मारपीट, धमकी, गाली गलौज, के गम्भीर अपराध में संलिप्त है इनामिया अपराधी

एसटीएफ टीम प्रयागराज द्वारा 50 हजार रुपये का इनामियां वांछित अभियुक्त अभिषेक मिश्र को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत गौरा पुलिया के पास से किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त अभिषेक मिश्र पर सरकारी कार्य में बाधा डालना, लोकसेवक पर हमला, मारपीट, धमकी, गाली गलौज, जैसी गम्भीर धाराओं में दर्ज हैं अभियोग

अभियुक्त द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों से समाज में भय एवं आतंक का माहोल पैदा कर आम जनता को आतंकित व भयभीत कर अनाधिकृत रूप से प्राप्त करते हैं आर्थिक, भौतिक व अनुचित लाभ

अभियुक्त अभिषेक मिश्र पुत्र राकेश मिश्र निवासी ग्राम विष्णुपुर कला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज द्वारा 50,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

एसपी पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी के नेतृत्व में ईनामिया अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दी जा रही थी दबिश प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे प्रभावी कार्यवाही/ अभियान के तहत जनपदवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने एवं अपराध नियंत्रण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार राय के नेतृत्व में थाना फतनपुर पर दिनांक 12.06.2024 को मु०अ०सं० 115/24 धारा 147, 332, 353, 504, 506, 427, 364 भादवि० बनाम अभिषेक मिश्र पुत्र राकेश मिश्र निवासी ग्राम विष्णुपुर कला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ व अन्य 04 के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.06.2024 को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पुरे गोसाई सुवंसा में विद्युत उपखंड गौरा के बिजली विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी के साथ सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए दुर्व्यवहार करते हुए मोबाइल छीन कर जमीन पर पटक कर तोड़ देने आदि आरोपों में प्राप्त तहरीर के आधार पर आरोपीगणों के विरुद्ध 04 नामजद व 01 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इनामियां अभियुक्त अभिषेक मिश्र पुत्र राकेश मिश्र निवासी ग्राम विष्णुपुर कला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज द्वारा 50,000/- रुपये का ईनाम घोषित किया गया था।

इनामिया अभियुक्त अभिषेक मिश्र की गिरफ्तारी हेतु थाना फतनपुर पुलिस टीम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी चेकिंग व अभियुक्त के संभावित स्थानों पर वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जानकारी कर दबिश दी रही थी।

इसी क्रम में दिनांक 01.09.2024 को उ०नि० रणेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह हे०कां० संतोष कुमार सिंह, कां० किशन चन्द्र, कंमाड़ो हे०कां० दिलीप कुमार यादव, एसटीएफ टीम प्रयागराज व उ०नि० प्रभांशु कुमार राय थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ द्वारा पतारसी, सुरागरसी के क्रम में मुखबिर की सूचना पर थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत गौरा पुलिया के पास से इनामियां अभियुक्त अभिषेक मिश्र पुत्र राकेश मिश्र निवासी ग्राम विष्णुपुर कला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

आपराधिक इतिहास -

इनामिया अभियुक्त अभिषेक मिश्र पुत्र राकेश मिश्र निवासी ग्राम विष्णुपुर कला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़-

01. मु०अ०सं०- 115/2024 धारा 147, 332, 353, 504, 506, 427, 364 भादवि० थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़

02. मु०अ०सं०- 208/23 धारा- 323, 504, 506 भादवि० थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम:-

उ०नि० रणेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह हे०कां० संतोष कुमार सिंह, कां० किशन चन्द्र, कंमाड़ो हे०कां० दिलीप कुमार यादव एसटीएफ टीम प्रयागराज व उ०नि० प्रभांशु कुमार राय मय हमराह थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

बयान- सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना या सरकारी कार्य में बाँधा डालना /मारपीट करना गैरकानूनी कार्य है एवं दण्डनीय अपराध है। ऐसा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्यवाही अमल में लाते हेतु नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

### **थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़**

एसपी डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में गैंगस्टर एक्ट के 01 अभियुक्त गिरफ्तार

चोरी, लूट, मारपीट/ गाली गलौज, आबकारी अधिनियम के अपराध में संलिप्त है अपराधी

अभियुक्त पर रंजीत सरोज पर थाना लालगंज में आधा दर्जन मुकदमें हैं दर्ज

अभियुक्त द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों से समाज में भय एवं आतंक का माहौल पैदा कर आम जनता को आतंकित व भयभीत कर अनाधिकृत रूप से प्राप्त करते हैं आर्थिक, भौतिक व अनुचित लाभ

एसपी पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्रीरामसूरत सोनकर के नेतृत्व में गैंगस्टर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दी जा रही थी दबिश

थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर रंजीत सरोज पुत्र छोटे लाल सरोज को थानाक्षेत्र लालगंज के मिश्राइनपुर नहर रोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे प्रभावी कार्यवाही/ अभियान के तहत जनपदवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने एवं अपराध नियंत्रण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज कुमार यादव थाना लालगंज के नेतृत्व में थाना लालगंज पर दिनांक 31.08.2024 को मु०अ०सं० 361/2024 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 बनाम कमल सिंह पुत्र शेर बहादुर सिंह निवासी ग्राम डगरारा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ 02. रंजीत सरोज पुत्र छोटे लाल सरोज निवासी ग्राम खालसा सादात थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ 03. सलमान पुत्र मकबूल निवासी ग्राम ककरहिया खानापट्टी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गैंगस्टर की गिरफ्तारी हेतु थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी चेकिंग व अभियुक्त के संभावित स्थानों पर वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जानकारी कर दबिश दी रही थी-

इसी क्रम में दिनांक 01.09.2024 को थाना लालगंज के प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज यादव के नेतृत्व में उ०नि० दीपक कुमार यादव मय हमराह, कां० ऋषिराज, कां० छत्रपाल, कां० माधवेश राय द्वारा पतारसी, सुरागरसी के क्रम में मुखबिर की सूचना पर थानाक्षेत्र के मिश्राइनपुर नहर रोड़ के पास से गैंगस्टर रंजीत सरोज पुत्र छोटे लाल सरोज निवासी ग्राम खालसा सादात थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त गैंग सदस्य रंजीत सरोज उपरोक्त के द्वारा अपने गिरोह के गैंगलीडर कमल सिंह पुत्र शेर बहादुर सिंह निवासी ग्राम डगरारा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ व गैंग सदस्य 02 सलमान पुत्र मकबूल निवासी ग्राम ककरहिया खानापट्टी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ के साथ मिलकर दिनांक 08.07.2022 को नटराज पेट्रोल पम्प के पास एक घर में घुसकर घर में रखा कीमती सामान जेवरात, गहने बर्तन कपड़े व 5000-7000 हजार रुपये चोरी किये थे इस सम्बन्ध में थाना लालगंज में मु0अ0सं0 469/2022 धारा 457, 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान धारा 457, 380, 411, 419, 469, 468 भादवि का आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया था। तथा दिनांक 12.02.2022 को एक व्यक्ति के तमंचा से घायल कर 7000 हजार रुपये व 01 मोबाइल फोन लूट लिये थे जिसके संबध में थाना लालगंज में मु0अ0सं0 544/2022 धारा 394, 323, 504, 411 भादवि व धारा 3/25 आम्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस प्रकार अभियुक्त रंजीत सरोज एक शातिर अपराधी है इसके खिलाफ थाना लालगंज में आधा दर्जन मुकदमें दर्ज हैं। गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01- रंजीत सरोज पुत्र छोटे लाल सरोज निवासी ग्राम खालसा सादात थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।  
आपराधिक इतिहास -

रंजीत सरोज पुत्र छोटे लाल सरोज निवासी ग्राम खालसा सादात थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

1. मु0अ0सं0 469/22 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 544/22 धारा 394, 323, 504, 411 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 194/22 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 773/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0 71/23 धारा 323, 325, 506 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0 604/21 धारा 379, 411 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम:- उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह, कां0 ऋषिराज, कां0 छत्रपाल, कां0 माधवेश राय थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

### **थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़**

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा चोरी की घटना से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत नहरकोठी इब्राहिमपुर से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त के पास से चोरी की 01 अदद चार्जर ई रिक्शा बरामद किया गया

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 31.08.2024 को प्रार्थी के दरवाजे से ई रिक्शा चार्जर लेकर भागने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0सं0 154/2024 धारा 303(2),317(2) बीएनएस बनाम नामजद बिलाल अहमद पुत्र

आफताब अहमद निवासी ग्राम अलीगंज नगर पंचायत मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मुकदमा वादी के सहयोग से थाना नवाबगंज के उ०नि० रमेश सिंह द्वारा थाना नवाबगंज के मु०अ०सं० 154/2024 धारा 303(2),317(2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त बिलाल अहमद पुत्र आफताब अहमद निवासी ग्राम अलीगंज नगर पंचायत मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को चोरी की 01 अदद चार्जर्ड ई रिक्शा के साथ थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत नहरकोठी इब्राहिमपुर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त बिलाल अहमद पुत्र आफताब अहमद उम्र 28 वर्ष नि० अलीगंज नगर पंचायत मानिकपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ का अपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 149/19 धारा 379/411 भादवि थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़
2. मु०अ०सं० 201/19 धारा 379/411 भादवि थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़
3. मु०अ०सं० 104/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़
4. मु०अ०सं० 335/23 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधि० थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़
5. मु०अ०सं० 169/24 धारा 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़
6. मु०अ०सं० 170/24 धारा 305/331(4)/317(2)/317(4) बीएनएस थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़
7. मु०अ०सं० 172/24 धारा 10 उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधि० थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- बिलाल अहमद पुत्र आफताब अहमद निवासी ग्राम अलीगंज नगर पंचायत मानिकपुर, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 01 अदद चोरी की चार्जर्ड ई रिक्शा बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० रमेश सिंह मय हमराह थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

### **माह अगस्त में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा कृत सराहनीय कार्य**

अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन, प्रयागराज व पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज, परिक्षेत्र प्रयागराज के पर्यवेक्षण एवं पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी/पश्चिमी) के मार्गदर्शन व समस्त क्षेत्राधिकारी के निटक पर्यवेक्षण में अपराध नियंत्रण / कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु प्रतापगढ़ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही

माह अगस्त में हुए 05 पुलिस मुठभेड़ में 10 अभियुक्त गिरफ्तार, 05 अभियुक्तों के पैर में लगी गोली, घायल अभियुक्तों को अस्पताल भेजकर कराया गया उपचार

-पुलिस मुठभेड़ में थाना संग्रामगढ़ से 01 गिरफ्तार, थाना कोहंडौर से 03 गिरफ्तार, थाना लालगंज से 01 गिरफ्तार, थाना जेठवारा से 03 गिरफ्तार तथा थाना रानीगंज से 02 गिरफ्तार

अपराधियों की सतर्क निगरानी हेतु माह अगस्त में खोली गई कुल 20 एचएस (हिस्ट्रीशीट)

-हत्या/हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, एनडीपीएस, गौ हत्या/गोमांस का विक्रय, कूट रचना, एटीएम फ्राड, साइबर अपराध, धोखाधड़ी, छिनैती, शस्त्र अधि०, रंगदारी मांगना, जमीन कब्जा/मारपीट, विस्फोटक आदि गम्भीर अपराधों में संलिप्त अपराधियों की सतर्क निगरानी हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा माह अगस्त में खोली गई कुल 20 हिस्ट्रीशीट

अपराध नियंत्रण हेतु जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रभावी कार्यवाही हेतु माह अगस्त में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत विभिन्न थानों पर कुल 14 गैंगस्टर कुल 35 अभियुक्तों को विरुद्ध पंजीकृत किया गया

-थाना लालगंज से 02, थाना जेठवारा से 02, थाना लीलापुर से 01, थाना फतनपुर से 01, थाना अन्तू से 01, थाना मान्धाता से 01, थाना बाघराय से 01, थाना साँगीपुर से 02, थाना देल्हूपुर से 01, थाना संग्रामगढ़ से 01, थाना मानिकपुर से 01 गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया।

माह अगस्त में लूट की 07 घटनाओं का किया गया सफल अनावरण, कुल 16 अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

थाना कुण्डा से 04, थाना कोतवाली देहात से 01, थाना कोहंडौर से 01, थाना रानीगंज से 01 लूट की घटनाओं का अनावरण किया गया

माह अगस्त में हुई कुल 4 लाख रुपये की सम्पत्ति की सभी लूटों की घटना में प्रतापगढ़ पुलिस की त्वरित कार्यवाही से 02 लाख 34 हजार 07 सौ रुपये अनुमानित मूल्य की सम्पत्ति बरामद की गई

माह अगस्त में प्रतापगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी से मा० जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा कुल 02 अपराधियों को 06 माह हेतु किया गया जिलाबंदर।

पीआरवी वाहनों का कम हुआ औसत रिस्पांस टाइम, माह जून में 11.11 मिनट, माह जुलाई- 10.55 मिनट, माह अगस्त- 08.52 मिनट रहा औसत रिस्पांस टाइम

प्रतापगढ़।

अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन, प्रयागराज व पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज, परिक्षेत्र प्रयागराज के पर्यवेक्षण एवं पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे प्रभावी कार्यवाही एवं अपराध नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियान के तहत जनपदवासियों की सुरक्षा/ सम्मान एवं पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करने/सुरक्षित वातावरण बनाये रखने हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं समस्त क्षेत्राधिकारी के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा माह अगस्त – 2024 में अनेकों सराहनीय कार्य किये गये।

05 पुलिस मुठभेड़-

01- थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 02.08.2024 को पुलिस मुठभेड़ में मु०अ०सं० 177/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त शेर उर्फ बब्बू पुत्र स्व० इकबाल निवासी ममर खाकुर

मेरगड़वा थाना मानिकपुर प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया जिसमें अभियुक्त शेर उर्फ बब्बू के पैर में गोली लगने से घायल का उपचार कराया गया व फिरोज पुत्र बब्बू हत्ता निवासी मेरगड़वा थाना मानिकपुर प्रतापगढ़ फरार है।

02- थाना कोहंडौर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 03.08.2024 को पुलिस मुठभेड़ में मु0अ0सं0 135/24 धारा 109(1), 310(4)(5), 3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित 03 अभियुक्तों विककी उर्फ आशीष पुत्र सुरेश सरोज, शिवम विश्वकर्मा पुत्र सुनील कुमार निवासीगण मामूली थाना कोहंडौर, हिमांशू पुत्र घनश्याम कन्नौजिया नि0 नरहरपुर थाना कोहंडौर को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल तथा राज उर्फ युवराज पुत्र अरविन्द कुमार विश्वकर्मा निवासी भदौसी थाना अन्तू प्रतापगढ़, आदर्श उर्फ भुवर पुत्र कैलाश निवासी कसियाही थाना कोहंडौर प्रतापगढ़(कोई अभियुक्त घायल नहीं है )

03- थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 21.08.2024 को पुलिस मुठभेड़ में मु0अ0सं0 338/24 धारा 109, 3(5), 352 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्तों प्रकाश वर्मा उर्फ जियावन उर्फ जेपी पुत्र राममूरत वर्मा मूसाफीर खाना रोड वार्ड नं0 कटरा लालगंज गौरीगंज अमेठी,(घायल अभियुक्त प्रकाश वर्मा) को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल तथा मिथुन कुमार साहू पुत्र भुल्लर प्रसाद साहू निवासी असैदारपुर थाना गौरीगंज अमेठी वांछित है ।

04- थाना जेठवारा से दिनांक 19.08.2024 को पुलिस मुठभेड़ में मु0अ0सं0 213/24 धारा 109, 3(5), 352 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित 03 अभियुक्तों विकास पटेल पुत्र रामजियावन पटेल निवासी पूरे नगिया पर्वतपुर थाना जेठवारा, राजेन्द्र पटेल उर्फ बचोली पुत्र स्व0 रामदेव निवासी रामगंज थाना जेठवारा, अनिल पटेल पुत्र जगदीश पटेल निवासी बलापुर खुर्दहा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ (घायल अभियुक्त अनिल पटेल) को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल ।

05- थाना रानीगंज से दिनांक 29.08.2024 को पुलिस मुठभेड़ में मु0अ0सं0 308/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से संबंधित 02 अभियुक्तों अज्जू उर्फ शीतला प्रसाद पुत्र हीरालाल सरोज निवासी देवगलपुर मऊआइमा प्रयागराज, सौरभ गौतम पुत्र हंसराज निवासी तौकलपुर थाना देल्हूपुर प्रतापगढ़ (दोनों अभियुक्त घायल ) गिरफ्तार कर भेजा गया जेल ।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध पर प्रभावी रोकथाम एवं अपराधियों की सतर्क निगरानी हेतु खोली गई 20 हिस्ट्रीशीट –

जनपद प्रतापगढ़ में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने एवं अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों के नेतृत्व में लगातार अपराधियों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है एवं पेशेवर/अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही जारी है । इसी क्रम में हत्या/हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, एनडीपीएस, गौ हत्या/गोमांस का विक्रय, कूट रचना, एटीएम फ्राड, साइबर अपराध, धोखाधड़ी, छिनैती, शस्त्र अधि0, रंगदारी मांगना, जमीन कब्जा/मारपीट, विस्फोटक आदि गम्भीर/जघन्य अपराधों को कारित करने वाले अभ्यस्त/पेशेवर अपराधियों की आपराधिक इतिहास का गहनता से जांच कर अपराध पर प्रभावी रोकथाम एवं अपराधियों की सतर्क निगरानी/ सत्यापन हेतु माह अगस्त में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा विभिन्न थानों में कुल 20 हिस्ट्रीशीट (एसएस) खोली



गई। थाना कोतवाली नगर में 02 थाना कोतवाली देहात में 06, थाना कन्धई में 08, थाना देल्हूपुर में 01, थाना लालगंज में 01, थाना रानीगंज से 01, थाना कोहंडौर में 01 हिस्ट्रीशीट खोला गया।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा माह अगस्त में कुल 14 गैंगस्टर पंजीकृत किया गया –

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी/पश्चिमी) के मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण में अपराध नियंत्रण हेतु जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रभावी कार्यवाही हेतु माह अगस्त में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा 30 प्र० गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत विभिन्न थानों पर कुल 14 गैंगस्टर कुल 35 अभियुक्तों को विरुद्ध पंजीकृत किया गया। थाना लालगंज से 02, थाना जेठवारा से 02, थाना लीलापुर से 01, थाना फतनपुर से 01, थाना अन्तू से 01, थाना मान्धाता से 01, थाना बाघराय से 01, थाना साँगीपुर से 02, थाना देल्हूपुर से 01, थाना संग्रामगढ़ से 01, थाना मानिकपुर से 01 गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा माह अगस्त में कुल 07 लूट की घटनाओं का सफल अनावरण किया गया-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी/पश्चिमी) के मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस/गठित टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक/मेनुअल साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए माह अगस्त में हुई लूट की 07 घटनाओं का किया गया सफल अनावरण तथा लूट घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों को चिन्हित कर कुल 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। थाना कुण्डा से 04, थाना कोतवाली देहात से 01, थाना कोहंडौर से 01, थाना रानीगंज से 01 लूट की घटनाओं का अनावरण किया गया। कुल 4 लाख रुपये की सम्पत्ति की सभी लूटों की घटना में प्रतापगढ़ पुलिस की त्वरित कार्यवाही से 02 लाख 34 हजार 07 सौ रुपये अनुमानित मूल्य की सम्पत्ति बरामद की गई।

मा० जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा कुल 02 अभियुक्तों को 06 माह हेतु किया गया जिलाबदर-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी/पश्चिमी के कुशल पर्यवेक्षण में कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जारी कार्यवाही के तहत मा० न्यायालय प्रतापगढ़ द्वारा 02 व्यक्तियों जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, जिनका ग्राम व आस-पास के क्षेत्रों/समाज में आतंक व भय व्याप्त है और उसके भय के कारण उसके विरुद्ध कोई कुछ कहने अथवा साक्ष्य देने का साहस नहीं करता है, को जिला बदर घोषित किया गया है। थाना लीलापुर से जिलाबदर अपराधी मो० अकरम पुत्र मो० इबरार निवासी ग्राम सकूहाबाद थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ व थाना कुण्डा से अभिजीत सिंह उर्फ देवराज सिंह पुत्र लल्लन सिंह, निवासी ग्राम सहाबपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को जिला बदर घोषित किया गया है। अभियुक्त मो० अकरम के विरुद्ध हत्या का प्रयास व 30 प्र० गोवध निवारण अधि०, पशु क्रूरता अधि० में थाना लीलापुर में अभियोग पंजीकृत है तथा अभिजीत सिंह के विरुद्ध लूट एवं छिनैती संबंधी गम्भीर धाराओं में कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।

बयान – जनपद में कानून-व्यवस्था को कायम रखने एवं अपराध नियंत्रण हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी है। जनपदवासियों की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने हेतु प्रतापगढ़ पुलिस संकल्पित एवं समर्पित है। नागरिकों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान/शान्ति व्यवस्था हेतु सभी अधिकारी/थाना प्रभारियों व पुलिस कर्मियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये हैं।

डॉ० अनिल कुमार,

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।

### **थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़**

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

आरोपी द्वारा वादी की पुत्री को अपहरण करने से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा आलापुर के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 28.08.2024 को वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लालगंज में मु०अ०सं० 352/2024 धारा 137(2), 87, 131, 352 बी०एन०एस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री नीरज यादव के नेतृत्व में उ०नि० अशोक कुमार यादव मय हमराह द्वारा अभियुक्त सचिन सरोज पुत्र रामफल सरोज निवासी ग्राम जौदहा थाना सलवन जनपद रायबरेली को दिनांक 01.09.2024 को थानाक्षेत्र लालगंज के रायपुर तियाई के पास गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त सिद्धांत सिंह को मु०अ०सं० 352/2024 धारा 137(2), 87, 131, 352 बी०एन०एस में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सचिन सरोज पुत्र रामफल सरोज निवासी ग्राम जौदहा थाना सलवन जनपद रायबरेली।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ०नि० श्री अशोक कुमार यादव मय हमराह कां० अजीत कुमार थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

### **वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-**

एसपी डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस की अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ एक्शन जारी।

वांछित व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद में चलाया गया अभियान ।

एसपी प्रतापगढ़ के निर्देशन एवं एसपी (पूर्वी/पश्चिमी) के नेतृत्व में अभियान के तहत कुल 16 वारण्टी व कुल 07 वांछित गिरफ्तार ।

थाना कोतवाली नगर से 01, दिलीपपुर 01, आसपुर देवसरा से 01, कोहड़ौर 03, कन्धई 03, जेठवारा 04, मानिकपुर से 01, नवाबगंज से 02 वारण्टी, इस प्रकार जनपद पुलिस द्वारा कुल 16 वारण्टी को गिरफ्तार किया गया ।

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के प्रकरण में 03 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार जेल भेजा गया है ।

थाना रानीगंज पुलिस व थाना महेशगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म के प्रकरण में 02 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार जेल भेजा गया है ।

थाना पट्टी पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार जेल भेजा गया है ।

वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रतापगढ़ पुलिस दे रही दबिश

प्रतापगढ़।

जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने एवं अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा० अनिल कुमार द्वारा अभियोगों में वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय के नेतृत्व एवं समस्त क्षेत्राधिकारी के कुशल पर्यवेक्षण में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा कुल 16 वारण्टी अभियुक्तों व कुल 07 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है ।

वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाये गये अभियान के तहत, थानों के प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर से 01, दिलीपपुर 01, आसपुर देवसरा से 01, कोहड़ौर 03, कन्धई 03, जेठवारा, मानिकपुर से 01, 04, नवाबगंज से 02, इस प्रकार जनपद पुलिस द्वारा कुल 16 वारण्टी को गिरफ्तार किया गया ।

वांछित वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी का थानावार विवरण-

थाना दिलीपपुर से 01 वारण्टी गिरफ्तार-

उ०नि० श्री सुनील कुमार गुप्ता द्वारा सम्बन्धित वाद सं० 18159/21 अंतर्गत धारा 323, 504, 506, 427, 452 भादवि थाना कन्धई से संबंधित 01 नफर वारण्टी-

1- सुभाष सिंह पुत्र पारसनाथ सिंह निवासी ग्राम करनपुर खूंझी थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा से 01 वारण्टी गिरफ्तार-

उ०नि० श्री अनुपम त्रिपाठी द्वारा सम्बन्धित मु०न० 3242/21 अंतर्गत धारा 323, 504, 506, भादवि से संबंधित 01 नफर वारण्टी-

1- रामप्रकाश वर्मा पुत्र रामखेलावन निवासीग्राम गोविन्दपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर से 01 वारण्टी गिरफ्तार-

उ0नि0 श्री वरुण कुमार द्वारा केस नं0 533/005 धारा 356, 411 भादवि से संबंधित 01 नफर वारण्टी-

1- मुन्ना उर्फ संदीप सरोज पुत्र संतलाल सरोज निवासी लाइन उसपार बेलहा घाट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहडौर से 03 वारण्टी गिरफ्तार-

उ0नि0 राजेश कुमार मय हमराह द्वारा मु0नं0 9113/21 अ0सं0 64/07 धारा 323, 324, 504, 506 भादवि थाना कोहडौर से संबंधित 01 वारण्टी-

1- श्रीनाथ वर्मा पुत्र रमेश्वर वर्मा निवासी ग्राम पूरे शिरोमणि सुजानगढ़ थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ ।

उ0नि0 निकेत भारद्वाज मय हमराह द्वारा मु0नं0 12838/21 अ0सं0 60/10 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना कोहडौर से संबंधित 01 वारण्टी-

1- अनिल कुमार पुत्र राजाराम निवासी ग्राम सरौली थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ ।

उ0नि0 राजेश कुमार मय हमराह द्वारा मु0 नं0 4066/23 अ0सं0 44/22 धारा 323, 325, 504, 506, 427 भादवि थाना कोहडौर से संबंधित 01 वारण्टी-

1- राम मिलन पुत्र रामबली निवासी ग्राम नारायनपुर थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कन्धई से 03 वारण्टी गिरफ्तार-

उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह द्वारा केस नं0 4061/09 धारा 323, 435,336 भादवि थाना कन्धई से सम्बन्धित 01 वारण्टी-

01- इब्बन पुत्र सिराज निवासीग्राम मीरनपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0 राजेश कुमार मय हमराह द्वारा केस नं0 4612/09 धारा 323, 504, 506, 332, 353 भादवि व धारा 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित वारंटी-

01-अतुल पाण्डेय पुत्र शीतलाप्रसाद निवासी ग्राम पूरेबाबू थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

उ0नि0 भूपेशनाथ सिंह मय हमराह द्वारा केस नं0 1351/06 धारा 435 भादवि से सम्बन्धित वारंटी-

01-सुरेन्द्र सिंह पुत्र माताभीखा सिंह निवासी ग्राम भीटीकला थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना जेठवारा से 04 वारण्टी गिरफ्तार-

उ०नि० श्री हेमन्त यादव मय हमराहा महिला आरक्षी छाया सिंह, महिला आरक्षी रेखा कुमारी द्वारा सम्बन्धित एसटी नं० 518/2019 अ०सं० 52/19 धारा 323, 504, 506 भादवि व धारा 3(1)ध, 3(2)5क से संबंधित 02 नफर वारण्टी अभियुक्ता-

- 1- राजिया बानो पुत्र मोहिद अली निवासी ग्राम बुधई का पुरवा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।
- 2- सहरूल बानो पत्नी मोहिद अली निवासी ग्राम बुधई का पुरवा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

उ०नि० आशीष पटैरिया मय हमराह राजेन्द्र पाण्डेय द्वारा अ०सं 376/12 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना जेठवारा से संबंधित 01 वारण्टी-

- 1- सुनील पुत्र रामेश्वर प्रसाद निवासी ग्राम सुरजाई का पुरवा काछा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

उ०नि० अमित वर्मा मय हमराह द्वारा मु०न० 737/धारा 128 सीआरपीसी थाना जेठवारा से संबंधित 01 वारण्टी-

- 1- अशफाक अहमद पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी ग्राम उदापुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज से 02 वारण्टी गिरफ्तार-

उ०नि० श्री संतोष यादव व जय प्रकाश सिंह मय हमराह द्वारा सम्बन्धित मु०न० 196/2012 अंतर्गत धारा 323, 504, 506, 498ए भादवि थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 नफर वारण्टी-

- 1- अमर सिंह यादव पुत्र जगन्नाथ यादव निवासीग्राम टिकियामऊ कुसुवापुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।
- 2- लालजी उर्फ लाले पुत्र मोती लाल निवासी ग्राम अंधरीपुर दयामऊ थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर से 01 वारण्टी गिरफ्तार-

उ०नि० श्री अतुल तिवारी मय हमराह द्वारा सम्बन्धित मु०न० 1701305/2004 अंतर्गत धारा 323, 325, 504, 506 भादवि थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 नफर वारण्टी-

- 1- जगदेव पुत्र बुधई पटेल निवासीग्राम करमगंज थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज से 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

उ०नि० श्री शिशिर पटेल व उ०नि० ध्रुव सिंह मय हमराह कां० रामप्रकाश द्वारा, मु०अ०सं० 172/24 धारा 64(2)एम, 65(1), 115(2), 191(2), 352, 351(3) बी०एन०एस० व धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5, 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट व धारा 5एल/6, 3/4 पाक्सो एक्ट में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर, 01 वांछित अभियुक्त अंसार अली पुत्र असफाक निवासी ग्राम अठैसा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र महेशगंज के अठैसा गांव की नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना रानीगंज से 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

उ०नि० श्री दीपक कुमार मय हमराह हे०कां० अशरफ अली द्वारा, मु०अ०सं० 267/24 धारा 376 भादवि व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर, 01 वांछित अभियुक्त शोएब अख्तर पुत्र गुलाम मोहम्मद उर्फ ननकऊ निवासी ग्राम मीरनपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र रानीगंज के चौहर्जन परशुरामपुर स्थिति दिलीपपुर जाने वाले मार्ग के पास से गिरफ्तार किया गया ।

थाना लालगंज से 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

उ०नि० श्री अशोक कुमार यादव मय हमराह कां० अजीत कुमार द्वारा, मु०अ०सं० 352/2024 धारा 137(2), 87, 131, 352 बी०एन०एस में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर, 01 वांछित अभियुक्त सचिन सरोज पुत्र रामफल सरोज निवासी ग्राम जौदहा थाना सलवन जनपद रायबरेली को थानाक्षेत्र लालगंज के रायपुर तियाई के पास गिरफ्तार किया गया।

थाना हथिगवां से 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

उ०नि० श्री बनवारी लाल पाल मय हमराह उ०नि० विवेक पाण्डेय, म०उ०नि० राखी सिंह, कां० अमित कुमार, कां० अनिल यादव द्वारा, मु०अ०सं० 186/24 धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 109 बी०एन०एस में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर, 03 वांछित अभियुक्त 01 जनार्दन मिश्रा पुत्र स्व० रामफेर मिश्रा 02. बृजेश मिश्रा पुत्र स्व० रामफेर मिश्रा 03. राजेश मिश्रा पुत्र स्व० रामफेर मिश्रा निवासीगण ग्राम कलिहनापुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र हथिगवां के नरसिंहपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया ।

थाना पट्टी से 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

उ०नि० श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह बालकिशुन राम, म०उ०नि० अर्चना द्वारा, मु०अ०सं० 254/24 धारा 137(2), 87 बी०एन०एस में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर, 02 वांछित अभियुक्त 01. अदिष्ठ कुमार पाण्डेय उर्फ अनिरुद्ध पाण्डेय पुत्र रविन्द्र कुमार पाण्डेय 02. अर्पित पाण्डेय पुत्र विनोद कुमार पाण्डेय निवासीगण ग्राम डाही थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र पट्टी के सदहा बाजार तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया ।

अभियान के तहत प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा कुल 16 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है ।

सोशल मीडिया सेल

प्रतापगढ़